

332



III (निगरानी) मुरैना/भू-रा 20-7-2017/2334
 न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
 प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

रस-मुले 0 धाकड काशी
 हर ज्ञ दि 24-7-17 को

रामलखन पुत्र स्व० श्री काशीराम,
 निवासी- लहचौरा तहसील कैलारस,
 जिला - मुरैना (म०प्र०)

-- आवेदक

(Signature)
 मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

1. शिवाराम धाकड
2. धनीराम धाकड
 पुत्रगण श्री श्यामलाल धाकड,
 निवासी-खेडातोर, तहसील कैलारस,
 जिला - मुरैना (म०प्र०)
3. लालाराम शाक्य,
4. भगवनलाल शाक्य,
 पुत्रगण श्री धर्मजीत
 निवासी- कैलारस तहसील कैलारस,
 जिला - मुरैना (म०प्र०)
5. राजेन्द्र शाक्य,
6. सुरेन्द्र शाक्य,
7. मोहन शाक्य,
8. अयुद्धी शाक्य,
 पुत्रगण श्री विशुनदयाल शाक्य
 निवासीगण - कैलारस, तहसील
 कैलारस जिला - मुरैना (म०प्र०)
 -- अनावेदकगण

(Signature)
 S.L. Shukla
 Adv. Gwalior
 24/7/17

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
 विरुद्ध आदेश दिनांक 01.04.2017 एवं 20.07.2017 पारित न्यायालय
 तहसीलदार कैलारस, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक
 31/अ-6/2016-17 एवं 1/अ-3/2016-17.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-


1- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 अर्थात् 8 के स्वत्व, स्वामित्व एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2334

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार कैलारस जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 31/अ-6/2016-17 एवं 1/अ-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01-04-2017 एवं 20-07-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	रामलखन विरुद्ध सियाराम


(आर.के.जैन) 11-3-19
सदस्य